



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2696]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 2018/आषाढ़ 25, 1940

No. 2696]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 2018/ASHADHA 25, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2018

का.आ. 3467(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तत्कालीन जल-मूल परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) की दिनांक 18 अक्टूबर, 1996 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 728(अ) का अधिकांश करते हुए टायरों के आकार, प्रकृति और संख्या को ध्यान में रखते हुए, परिवहन यानों (मोटर कैरों को छोड़कर) के संबंध में प्रत्येक प्रकार की धुरी के अधिकतम सुरक्षा धुरी भार को निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अधिकतम सुरक्षित धुरी भार		
क्रम सं.	धुरी का प्रकार	अधिकतम सुरक्षित धुरी भार
1.	एक धुरी	
1.1	एक टायर के साथ एक धुरी	
1.2	दो टायर के साथ एक धुरी	3.0 टन
1.3	चार टायर के साथ एक धुरी	7.5 टन
2.	टेंडम धुरियाँ (दो धुरियाँ) (जहाँ दो धुरियों के बीच की दूरी 1.8 मीटर से कम है)	11.5 टन*
2.1	दृढ़ यानों के लिए टेंडम धुरी, ट्रेलर्स और अर्ध-ट्रेलर्स	21 टन*
2.2	हार्डड्रॉलिक और न्यूमेटिक ट्रेलर्स के लिए फूल ट्रेलर्स के लिए टेंडम धुरी	28.5 टन
3.	तीन धुरियाँ (तीन धुरियाँ) (जहाँ बाहरी धुरियों के बीच की दूरी 3 मीटर से कम है)	
3.1	तीन धुरियों के दृढ़ यानों, ट्रेलर्स और अर्ध-ट्रेलर्स	27 टन*
4.	धुरी पंक्ति के साथ (दो धुरियाँ प्रत्येक चार टायर) मॉड्यूलर हार्डड्रॉलिक ट्रेलर्स में (एक धुरी के लिए 9 टन भार अनुज्ञेय)	18 टन

*टिप्पण : यदि वाहन में न्यूमेटिक सरपैशन सज्जित है तो प्रत्येक धुरी पर 1 टन अतिरिक्त भार अनुज्ञेय होगा।

2. सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) उपरोक्त के अनुसार स्वीकार्य सुरक्षित घुरी भार की कुल योग से अधिक नहीं होगा और किसी भी मामले में इससे अधिक नहीं होगा :-

(i) दृढ़ वाहनों के मामले में 49 टन, और

(ii) मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों को छोड़कर अर्ध आर्टिकुलेटेड ट्रेलरों और ट्रक ट्रेलरों के मामले में 55 टन।

3. मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर किसी भी भार की अविभाज्य प्रकृति के सामान को नियामक अनुमोदन के अधीन वहन कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 113 की उपधारा (3) के अनुपालन के उद्देश्य के लिए सकल वाहन भार में पाँच प्रतिशत तक सहन अनुज्ञेय है।

[फा. सं. आर.टी.-11028/11/2017-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2018

S.O. 3467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Transport Wing), number S.O. 728(E) dated the 18th October, 1996, the Central Government hereby notifies the maximum safe axle weight of each axle type in relation to the transport vehicles (other than motor cabs), having regard to the size, nature and number of tyres, as under :—

Sl. No.	Maximum Safe Axle Weight Axle Type	Maximum Safe Axle Weight
1.	Single Axle	
1.1	Single Axle with single Tyre	
1.2	Single Axle with two Tyres	3.0 tonnes
1.3	Single Axle with four Tyres	7.5 tonnes
2.	Tandem Axles (Two axles) (where the distance between two axles is less than 1.8 Mtr.)	11.5 tonnes*
2.1	Tandem axle for rigid vehicles, trailers and semi-trailers	21 tonnes*
2.2	Tandem axle for Puller tractors for hydraulic and pneumatic trailers	28.5 tonnes
3.	Tri-axles (Three axles) (where the distance between outer axles is less than 3 Mtr.)	
3.1	Tri-axle for rigid vehicles, trailers and semi-trailers	27 tonnes*
4.	Axle Row (two axles with four tyres each) in Modular Hydraulic trailers (9 tonnes load shall be permissible for single axle)	18 tonnes

* Note: If the vehicle is fitted with pneumatic suspension, 1 tonne extra load is permitted for each axle.

2. The gross vehicle weight (GVW) shall not exceed the total permissible safe axle weight as above and in no case shall exceed-

(i) 49 tonnes in case of rigid vehicles; and

(ii) 55 tonnes in case of semi-articulated trailers and truck-trailers except modular hydraulic trailers.

3. Modular hydraulic trailers can carry goods of indivisible nature of any load subject to the regulatory approvals as may be required.

Explanation - For the purposes of this notification, tolerance upto five per cent. in the gross vehicle weight shall be allowed for the purpose of compliance to sub-section (3) of section 113 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

[F. No. RT-11028/11/2017-MVL]


ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

परिशिष्ट - 'ब'

(तारांकित प्रश्न क्रमांक: 4035)

माननीय विधायक श्री गिरार्ज डण्डोटिया

विषय:- मार्गों पर निर्धारित क्षमता से अधिक भार ले जाना।



माननीय विधायक एवं जन प्रतिनिधियों की समिति बनाकर निगरानी कराये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव परिवहन विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में 40 स्थाई व 5 अस्थायी परिवहन चैकपोस्ट संचालित हैं, जिसमें 19 एकीकृत परिवहन चैकपोस्ट की निगरानी मध्य प्रदेश रोड़ डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लि. द्वारा की जा रही है, अन्य चैकपोस्टों पर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन में निरीक्षण रोस्टर अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परिवहन चैकपोस्टों का निरीक्षण किया जाता है। परिवहन चैकपोस्ट पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994, मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम 1991 में निहित प्रावधानों के अधीन ही चैकपोस्टों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश